<u>संख्या:36/2020/759 ई-2/तेरह-2020-56/2013</u>

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>।

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।
3.समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4.समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

<u>आबकारी अनुभाग-2</u> लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2020

विषय:-कोविड-19 के निवारण के संदर्भ में निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.03.2020 एवं 21.03.2020 के क्रम में सेनेटाइजर निर्माण हेतु प्रयुक्त अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या:-FS-26/1/2020-ECR&E, दिनांक 21-03-2020 एवं अधिसूचना संख्या:-S-26/1/2020, दिनांक 19-03-2020 का संदर्भ ग्रहण करे।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19-03-2020 के प्रस्तर-2(2) अनुसार हैण्ड सेनटाइजर निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले अल्कोहल के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण एवं मूल्य को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित करते हुए सेनटाइजर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल के दिनांक 05-03-2020 को प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य बिना भारत सरकार की सहमति से नहीं लिया जा सकता।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 21-03-2020 के प्रस्तर-2(3) के अनुसार हैण्ड सेनटाइजर की कीमतें 200 एम.एल. की प्रत्येक बोतल के लिए रू.100/- से अधिक नहीं होंगी, हैण्ड सेनटाइजर की अन्य मात्रा के लिए कीमतें इन कीमतों के यथानुपातिक आधार पर निर्धारित की जायेंगी, जिसके दृष्टिगत जन-सामान्य से हैण्ड सेनटाइजर का फुटकर मूल्य प्रति 200 एम.एल. पैक अधिकतम रू.100 एवं इससे अधिक मात्रा के सेनटाइजर पैक का मूल्य इसी अनुपात में होगा और इससे अधिक मूल्य फुटकर विक्रेताओं द्वारा नहीं लिया जा सकता है। हैण्ड सैनेटाइजर की काला-बाजारी रोकने के लिए ग्राहको द्वारा मूल्य भुगतान का बिल अवश्य लेने हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। उक्त का उल्लंघन पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 तथा अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या:36/2020/759(1) ई-2/तेरह-2020तददिनांक।</u>

उक्त की प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव